संख्या- न \/2023/ 2854 /26-3-2023/C.N.- 1513982

प्रेषक.

रजनीश चन्द्र. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2598/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुक्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्योरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि 🗼		
क्रिए	क्र0 प्राक्रियात्मक कायवाहा मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही			
	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना	21 सितम्बर 2023 से		
1	। क्लेक से लिंह 'नदीन शिक्षा। संस्थाना दारा मास्टर डाटा बंदा	19 दिसम्बर 2023 तक		
	े			
	<u>ि — ६०८ सम्बद्धाः क्रिक्टिमेटिंगः ग्रन्साः के मध्यम् स् ।क्याः</u>			
	जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त			
	करना।			
	वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटां बेस में सम्मिलित होने के			
	निवे आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी,			
1.	लियं आवेदनं करेना तथा याजनाविकारण गाउर कार्यकरण			
	मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य			
	अकित/अद्यतन करके डिजिट्स हर्सावार राज्या मिर्सिक/ विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/	22 सितम्बर 2023 से		
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजसा/जिला विद्यालय स्रिताय/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का	22 दिसम्बर 2023 तक		
	सत्यापन			

881 6/2023

	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी	
	क नाउरा जाववगरा एवं जिला विहालम निक् नवम 11-12	
	BUI SIX 131919 (1791, 91040)4 (1735	. 8
	का संख्या एवं फास जादि का स्मितन हें निर्माण का	
	डिजिट्स हस्तावर स जानसाइन सत्यापित करना	
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि व	ी प्रकिया
	प्रथम राजा।	
3	छात्रा द्वारा आनलाइन आवटन	22 सितम्बर 2023 से
,	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	31 दिसम्बर 2023 तक
4.	छात्र द्वारा त्राटया का सुधार करने व फाइनल पिन्ट आउट	•
	। निकालन सं पूर्व 03 कार्य दिवसा में	03 जनवरी, 2024 तक
	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों	
	को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित	25 सितम्बर 2023 से
	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	08 जनवरी 2024 तक
	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा	
	वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित	25 सितम्बर 2023 से
	एवं अग्रसारित करना	11 जनवरी 2024 तक
(41)	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण	· ·
	संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त	
	करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का	
	अवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक	08 जनवरी 2024 से
1	सत्यापन	03 मई 2024 तक
	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का	55 14 252 1 11 1
	कारण संस्था दारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान	
	। अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निदशन में जनपदीय	
	े अधिकारियों शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्पाण विभाग के	
	अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का	
	भौतिक सत्यापन किया जाना।	
8	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक	12 जनवरी 2024 से
	द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम	15 फरवरी 2024 तक
	व संस्था को ब्लॉक करना	
	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेत्र) एवं सम्बन्धित	
	विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता,	
	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक	
	धात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक	
	करना।	12 जनवरी 2024 से
9	एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनीपरान्त प्राप्त डाटा को	३० जनवरी २०२४ तक ३० जनवरी २०२४ तक
		50 91 19 (1 2024 (19)
	एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारत विभिन्न पर व छात्र के आवेदन शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन	11-11-E11-11 T F
	शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदाय लागिन पर अविदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध	
	कराना।	
L	47.11.11	

10	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना	31 जनवरी 2024 से
	Mancin many talents there.	०४ मार्च २०२४ तक
	के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेयर से डाटा लॉक किया	
	के डिजिटल सिग्रेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
11	वाटपण आतटन की छात्रा के उन्हर में है	31 जनवरी 2024 से
		09 फरवरी 2024 तक
	को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को	05 47441 202 7 11 1
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः	12 फरवरी 2024 तक
	अग्रसारित कराना	12 47441 2024 (14)
	ऑनलाइन आतेरन एन की वार्च —	
	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा	
	वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	
	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्र	¥.
	अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान	
	द्वारा मिलान् किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना,	
	अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का	
	आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी	13 फरवरी 2024 से
	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0	21 फरवरी 2024 तक
	की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक	04 मार्च, 2024 तक
	करना	•
	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं	
	अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा	
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा	_
	लॉक किया जाना।	
		10 मार्च 2024 तक
15	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	10 414 2024 (14)
	जनपद स्तराय विभागाय आधकारा के जिल्हा संतराय स	
	लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग	
	स्जित कराना।	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
16	धनराशि का अन्तरण	15 मार्च 2024 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	
	1	
	The second of the property of the colonial of	
	एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे	
	्राच्याचे अञ्चयित किया जाना।	
	दितीय चरण	
17	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन	01 जनवरी 2024 से
''		31 मार्च 2024 तक
	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवदन पिन्ट आउट छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट	
18	छात्र द्वारा त्राटपा पर्रा सुपार कर	03 अप्रैल, 2024 तक
	निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
	छात्र/छात्राओ द्वारा किय गय जाना।	
	को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना। हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित	00 201- 2024
19	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वार्ण	08 अप्रैल 2024 तक
	शिक्षण सस्था म जमा किया जाना हुन्नी हात्र/छात्राओं हाज	
	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा	
	आनलाइन आवेदन पत्र की हाड कीपा जिला प्राप्ता प्राप्ता वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	
	MILON MAINT MANAGEMENT	

20	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	16 फरवरी 2024 से
		15 अप्रैल 2024 तक
	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं	
	संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण	
	करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का	
21	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक	16 अप्रैल 2024 से
	द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना	26 अप्रैल 2024 तक
1		
	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेत्) एवं सम्बन्धित	
	विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक	
	छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन	
	सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक	
	विस्तावत करणा अवाज छात्रा, पाठवक्रमा, संस्थाओं का ब्लाक करना।	
22	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी	16 अप्रैल 2024 से
22	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को	16 अप्रेस 2024 स 25 अप्रैल 2024 तक
	एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण क्रके	25 TIAN EDET NA
	शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन	
	में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध	
	कराना।	
23	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना	17 जून 2024 तक
23	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों	11 61
	के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी	
	के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
24	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना	26 अप्रैल 2024 से
	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों	03 मई 2024 तक
	को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों	
	को ठीक किया जाना।	
25	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः	26 अप्रैल 2024 से
	अग्रजारित कराना ।	07 मई 2024 तक ·
	ऑनलाइन आवेदन पत्र की होई कापी छात्र/छात्राओं द्वारा	
	े जंदिन नंजान्त्रें महिन शिक्षण संस्था में जैंगे। किया जीना तथा	
	े किया पंजान होता कार्न के आधलेखा स (मेशा) प्रिया जाना एव	
	े ऑप्रचारच आवेरच पापत करना अपात्र छ।त्रा पर जापदन निरस्त	
	करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं	AL R. T. A. C.
	अग्रसारित करना।	
26	एन०आई०सी० द्वारा पुनः स्क्रूटनी	08 मई 2024 से
		16 मई 2024 तक
	की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुआ पर पुग नरावण करक	
	जनपटीय लागन पर उपलब्ध कराना	
27	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10 जून 2024 तक
	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति सामारा क्रा निर्णय करा	
	जनपदीय छात्रवृत्ति स्विकृति सीमात द्वारा प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा	
	अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डीटा पर निवस्ति तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा	
	लॉक किया जाना।	

File No.26-3099/300/2021- -3-

16/2023

28	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	14 जून 2024 तक
29	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	21 जून 2024 तक

- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
 - उक्त सम्य-सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
 - नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गृत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
 - छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयाविध के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
 - संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
 - विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर 5-अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।
 - निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-
 - क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।
 - ख-विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।
 - ग-विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में ापवापचाराम्/रापगरापाठा र्यात्मे अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर। संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।

छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।

प्रथम चरण् में विभिन्न हितथारकों के स्तर से लिम्बत अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सिम्मितित

किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृप्या उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुस्गत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय.

रजनीश् चन्द्र) Signed by ज़िन्हीं चन्द्र Date: 14-09-2023 17:14:34

प्0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षाँ विभाग, उ०प्र० शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र0लखनऊ।

मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लुखनऊ।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।

7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।

प्रथम चरण में विभिन्न हितथारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध् में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृप्या उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसँगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावितयों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शोक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोलर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुस्चित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश् चन्द्र

<u>पु0सं0 एवं दिनाक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज। 2- अपर मुख्य सचिव्/प्रमुख् सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- ८-२९ 15

/ स0क0 / शिक्षा-अ / 6 / 597 / 2023-24

लखनऊ, दिनांकः 🖒 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याणं विभाग।

2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय—सारिणी के शासनादेश संख्या—71/2023/2854/26—3—2023/C.No.-1513982 दिनांक 15.09.2023 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ—साथ मास्टर डाटा हेतु निर्धारित तिथि 21 सितम्बर 2023 से तथा छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन आनलाइन किये जाने की तिथि 22 सितम्बर 2023 से प्रत्येक दशा में पोर्टल खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

6-वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

7-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8—समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समयार्न्तगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।